रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 7, 2007/ज्येष्ठ 17, 1929
No. 263] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7, 2007/JYAISTHA 17, 1929

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2007

सा.का.नि. 419(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सहायक निदेशक के पद की भर्ती के तरीके को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं आरम्भ.**–(1) इन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सहायक निदेशक, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतनमान.**–पद की संख्या, इसका वर्गीकरण एवं वेतनमान वह होगा, जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट किया गया है।

3. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, योग्यताएं आदि.**–भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, शैक्षिक योग्यताएं व इस पद से संबंधित अन्य बातें वह होंगी, जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में निर्दिष्ट की गई हैं।

4. **निरर्हता.**–वह व्यक्ति,–

(i) जिसने पत्नी जीवित होते हुए किसी अन्य महिला के साथ विवाह किया है;

(ii) जिसने पति जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

बशर्ते केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति को तथा विवाह के दूसरे पक्ष को लागू स्वीय विधि के अंतर्गत उचित है और ऐसा करने के और कारण भी हैं, इस नियम के प्रचालन से ऐसे व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

5. **नियमों को शिथिल करने की शक्ति.**–जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि यह आवश्यक है या ऐसा शीघ्र करना आवश्यक है, तो लिखित में कारण दर्ज करके एवं संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, किसी व्यक्ति की श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान में ढील दे सकती है।

6. **व्यावृत्ति.**–इन नियमों में कुछ भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्रदान की गई आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगे।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
सहायक निदेशक	2* (2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	8000–275–13500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रतिनियुक्ति/आमेलन	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी– (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500–10500 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :– (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समतुल्य; (ii) किसी पर्यवेक्षक हैसियत में आंकड़ा के विश्लेषण और निर्वचन तथा समाज कल्याण के क्षेत्र में सर्वेक्षण और अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12023/1/2007-स्था.]

सुजीत दत्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2007

G.S.R. 419(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director in the Ministry of Minority Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Minority Affairs Assistant Director, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, its classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule, annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefits of added years of service admissible
1	2	3	4	5	6
Assistant Director	2* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Ministerial	Rs. 8000-275-13500	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Deputation/absorption.	**Deputation/absorption :** Officers under the Central Government or State Government or Union Territory administration. (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :— (i) Bachelors Degree from a recognized University or equivalent; (ii) three years experience of participation in surveys and research in the field of social welfare and analysis and interpretation of data in a supervisory capacity. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

[F. No. A-12023/1/2007-Estt.]

SUJIT DATTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.